57

...नीय राजस्व मण्डल ,म0प्र0ग्वालियर, श्रृखला न्यायालय, रीवा
अपील प्रकरण कमांक............

II/अपील/सीधी/भू.रा./2017/160

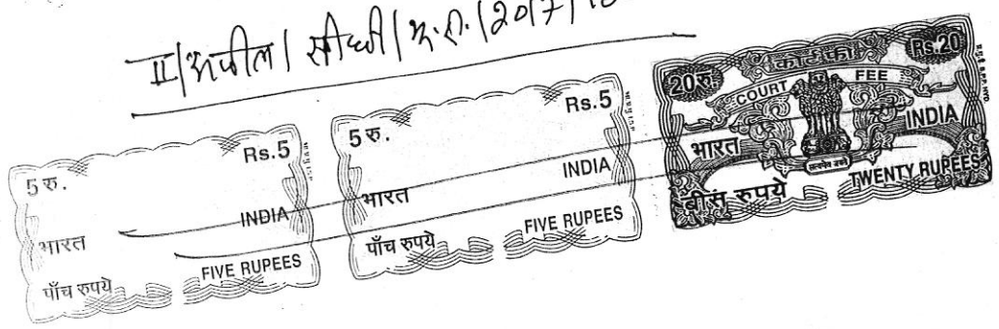

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. Rs.20 कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 30/-

बद्री प्रसाद यादव तनय मंगल यादव, निवासी ग्राम बोदरहा तह0 गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0) ------------ अपीलार्थी/आवेदक

अधि० श्री श्रीप्रकाश तिवारी द्वारा पेश 27-12-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

शासन म0प्र0------------------------------ रेस्पाडेन्ट/अनावेदक

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा श्रृंखला न्यायालय सीधी ।

प्रकरण कमांक 222/अपील /2017–18 आदेश प्रसारित दिनॉक 09.11.2017 ।

जिसके द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 05/अ–59/20111–012 आदेश दिनॉक 21.09.2017 को कायम रखते हुए प्रथम अपील अग्राहय किया जाकर निरस्त किया गया।

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0राजस्व संहिता, 1959 ई.।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / अपील / सीधी / भू.रा / 2017 / 160

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीश तिवारी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 222 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 09.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्त के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट लेख किया गया है कि अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 5 / अ–59 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21.9.17 को विधि प्रकिया एवं सहज न्याय सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त ने यह भी अपने आदेश में माना है कि अपर कलेक्टर द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जिसमें आवेदक द्वारा ऐसा कोई नया बिन्दु एव नया तथ्य विचार योग्य हो। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशदिनांक 9.11.17 स्थिर रखने योग्य है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 222 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 09.11.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।	

आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य